भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 1204
(सोमवार, 08 दिसंबर, 2025/17 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर नियामक ढांचे

1204. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थानीय व्यवसाय और कारपोरेट क्षेत्र, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) लाभों और जटिल नियामक ढाँचों से संबंधित कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो विकास और समावेशी विकास में योगदान करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं,
(ख) यदि हाँ, तो जिले में वंचित समुदायों को लाभ पहुँचाने के लिए अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सीएसआर पहलों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) यदि नहीं, तो जिले में अनुकूल कारपोरेट वातावरण के निर्माण को प्राथमिकता नहीं देने के क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): सरकार के संज्ञान में ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी नहीं आई है।
कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का दर्शन, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण में कॉर्पोरेट्स की प्रबंधकीय दक्षता, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर उन्हें देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदार बनाना है। जिन कंपनियों को सीएसआर व्यय करना अनिवार्य किया गया है, उनके लिए यह एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है। कंपनी के बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनको क्रियान्वयन और उन पर निगरानी करने के लिए अधिकृत है। सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति के निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, परियोजना और परियोजना के क्रियान्वयन क्षेत्र की पहचान, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय का प्रमाणन और वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय का लेखा-परीक्षण आदि से संबंधित मौजूदा सीएसआर सांविधिक प्रावधान पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करते हैं। बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होता है कि स्वीकृत राशि निर्धारित कार्यकलाप(यों) पर व्यय की गई है। सरकार कंपनियों को किसी विशेष कार्यकलाप या किसी विशेष समुदाय के लिए व्यय करने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं करती है।

*****